



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 2018/भाद्र 5, 1940

No. 325]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 2018/BHADRA 5, 1940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया)
(प्रथम संशोधन) विनियम, 2018

मि० सं० 1-1/2002 (पी.एस) छूट (भाग- III) खण्ड-II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (एफ) एवं (जी) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियमों को सृजित करता है:

- लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:
 - इन विनियमों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
 - ये विनियम, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे।
- निम्नलिखित उपबंध को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 के खण्ड 5.4.1 में जोड़ा जाए:

“बशर्ते कि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग: Non-Creamy Layer)/पृथक रूप से निशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अंकों में 5% की छूट (50% के स्थान पर 45%) प्रदान की जाएगी।

बशर्ते आगे कि, यदि उपर्युक्त छूट के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग: Non-Creamy Layer)/निशक्त श्रेणियों के लिए आवंटित सीटें खाली रह जाती हैं तो संबंधित विश्वविद्यालय सामान्य श्रेणी के लिए प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के एक माह के भीतर उस विशिष्ट श्रेणी के लिए विशेष प्रवेश अभियान

चलाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही अर्हता शर्तें तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन श्रेणियों में से अधिकांश सीटें भरी जा सकें।”

प्रो. रजनीश जैन, सचिव वि.अ.आ.

[विज्ञापन-III/4/असा./202/18]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(UNIVERSITY GRANTS COMMISSION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2018

University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degrees) (1st amendment) Regulations, 2018

F.No.1-1/2002(PS)Exempt(Pt.Fl.III) Vol-II.—In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following Regulations to amend to UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil/Ph.D Degree) Regulations 2016.

1. Short title, application and commencement:
- 1.1. These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degrees) (1st Amendment) Regulations 2018.
- 1.2 They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. The following proviso shall be added to the clause 5.4.1 of the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulations, 2016

“provided that a relaxation of 5 % of marks (from 50% to 45%) shall be allowed for the candidates belonging to SC/ST/OBC(Non-Creamy layers)/Differently-abled category in the entrance examination conducted by the Universities.

provided further that, if in spite of the above relaxation, the seats allotted for SC/ST/OBC(Non Creamy layer)/Differently-abled categories remain unfilled, the concerned Universities shall launch a Special Admission Drive, for that particular category within one month from the date of closure of admissions of General Category. The concerned University will devise its own admission procedure, along with eligibility conditions to ensure that most of the seats under these categories are filled.”

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.,UGC
[ADVT.-III/4/Exty./202/18]